



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्) [संख्या—35

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु० 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	549—582	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	389—391	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	391—394	975
स्टोर्स पर्चेज—स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

18 अगस्त, 2026 ई0

संख्या-28/नो-एल/XXXVI-A-1/2026-13 नो-एल/2010-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुधीर सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 18-08-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय नैनीताल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुधीर सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

अमित कुमार सिरौही,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 28 No-L/XXXVI-A-1/2026-13 No-L/2010**, dated August 18, 2026.

NOTIFICATIONAppointment

August 18, 2026

No. 28 No-L/XXXVI-A-1/2026-13 No-L/2010--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Sudhir Singh, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 18-08-2026 for **District Headquarter Nainital** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Sudhir Singh** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

AMIT KUMAR SIROHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

गृह अनुभाग-02

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-565/XX(2)/26-30(हो0गा0)2004/2026 (E-9333)-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अरुणिम रावत, पुत्र श्री दीपक रावत, ई0-100, उग्रसेन नगर, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून, पिन-249202 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री अरुणिम रावत डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह/सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. - शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. - अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. - दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।

4. - अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. - इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. - अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8- यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेंट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-565(1)/XX(2)/26-30(हो0गा0)2004/2026(E-9333)-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री नागेश शुक्ल, पुत्र श्री राजेश कुमार शुक्ल, पता-ग्राम व पो0-पौहार, तहसील-अतर्रा, जिला-बांदा, उत्तर-प्रदेश, पिन-210202 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेंट, होमगार्ड्स, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परीवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री नागेश शुक्ल डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह/सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. - शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. - अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. - दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. - अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. - इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. - अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सुचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-565(2)/XX(2)/26-30(हो0गा0)2004/2026(E-9333)-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री पार्थ पाण्डेय पुत्र श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, पता-हाऊस नं0 3, कमल कृष्ण कुंज, बरेली, उत्तर-प्रदेश, पिन-243005 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तनों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री पार्थ पाण्डेय डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह/सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. - शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।

2. - अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 3. - दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
 4. - अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
 5. - इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
 6. - अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
- 8- यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-565(3)/XX(2)/26-30(हो0गा0)2004/2026(E-9333)-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री मनमोहन गुसाई, पुत्र श्री शिवचरण सिंह गुसाई, पता-सिमलचौड़ नजदीक ए0आर0टी0ओ0 ऑफिस, कोटद्वार, पो0 पदमपुर सुखरौ, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पिन-246149 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परीवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री मनमोहन गुसाई डॉ.रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह/सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ.रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. - शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. - अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. - दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. - अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. - इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. - अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024

सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-565(4)/XX(2)/26-30(होगा0)2004/2026(E-9333)-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री प्रियंका पाण्डेय, पुत्री श्री उमेश पाण्डेय, पता-A-495/12, आवास विकास, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन-263153 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— सुश्री प्रियंका पाण्डेय डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह/सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. - शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. - अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. - दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. - अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. - इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. - अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
सचिव।

वित्त अनुभाग-8

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-761 / 2026 / 09(100) / XXVII(8) / 2026-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री आस्था-अग्रवाल, पुत्री श्री विजय अग्रवाल, शिवा बुटिक कोसी रोड़, रामनगर, नैनीताल पिन कोड-244715 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरो में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-- सुश्री आस्था अग्रवाल, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6-- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7-- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (गल) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलपगम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-762/2026/09(100)/XXVII(8)/2026—

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सौरभ सिंह, पुत्र श्री तेजबहादुर सिंह, 98, ग्राम/पोस्ट-बिलारी, अलौवा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश पिन कोड-223221 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनगण 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,

नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री सौरभ सिंह, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7 - सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8 - यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी)

ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सुचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल कद्वर बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9- रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन यादीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-763/2026/09(100)/XXVII(8)/2026-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री योगेश बड़थवाल, पुत्र श्री नीति प्रकाश बड़थवाल, बड़थवाल भवन नियर पेट्रोल पंप कोटद्वार रोड़, पौड़ी गढ़वाल पिन कोड-246001 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तर्तों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री योगेश बड़थवाल, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8. यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 राज्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9-- रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य वर्गों में उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचिका के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10-- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति / नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-764 / 2026 / 09(100) / XXVII(8) / 2026-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री इण्डिता रावत, पुत्री श्री राजेन्द्र रावत, बी-53/डी/एफ-1, दिलशाद कालोनी, दिल्ली पिन कोड-110095 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनभान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरो में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-- सुश्री इण्डिता रावत, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6-- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-765/2026/09(100)/XXVII(8)/2026-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री वैभव पाल, पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह, ग्राम-नगला ढाकन, पोस्ट-सिद्धपुरा, जिला- कासगंज (उ0प्र0) पिन कोड-207246 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरी में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री वैभव पाल डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।

5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।

6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (गल) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या—766/2026/09(100)/XXVII(8)/2026—

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा—2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री खुशबू डोगरा, पुत्री श्री ओम प्रकाश डोगरा, कोपा कृपाली गूलरभोज, ऊधमसिंह नगर पिन कोड—262401 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100—177500, लेवल—10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— सुश्री खुशबू खोगरा, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8 - यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्वागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका

संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-767/2026/09(100)/XXVII(8)/2026—

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अजय डबास, पुत्र श्री सुशील डबास, मकान न0- 296A/27, वेस्ट रामनगर, सौनीपत, हरियाणा, पिन कोड-131001 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय, देहरादून में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परीवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री अजय डबास, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचिका के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या—768/2026/09(100)/XXVII(8)/2026—

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शुभम काण्डपाल, पुत्र श्री शंकर दत्त काण्डपाल, एन0टी0आर कालोनी, तल्ला जोशी खोला, लोअर माल रोड, अल्मोड़ा पिन कोड-263601 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री शुभम काण्डपाल, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5— अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:—

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्वागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफगम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या-769/2026/09(100)/XXVII(8)/2026-

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री तारिका सिंह, पुत्री श्री अजीत सिंह, सी-4, इन्द्रपुरी, लालकोठी टॉन्क रोड, जयपुर पिन कोड-302015 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तारों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- सुश्री तारिका सिंह, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भरो अनुमन्य नहीं होंगे।

7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन आने तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।

4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (गल) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सुचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9— रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचिका के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10— सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

03 जुलाई, 2026 ई0

संख्या—770/2026/09(100)/XXVII(8)/2026

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रबुद्ध सिंह, पुत्र श्री प्रमोद कुमार, 399, मयूर रेजीडेंसी फेज-2, फरीदीनगर, इन्द्रानगर, लखनऊ (उ0प्र) पिन कोड-226015 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वृत्तमान 56100-177500, लेवल-10 के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह ढोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तावों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपचारिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— श्री प्रबुद्ध सिंह, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक: 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

3— यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

4— एतद्द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कस्) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी।

5 अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी।

6— इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमत्त नहीं होंगे।

7— सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-

1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।

8— यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका

संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगी।

9- रिट याचिका संख्या 18 (एस/बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं।

10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,
सचिव।

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

13 अगस्त, 2026 ई०

संख्या 1058 / VIII-1 / 2026-08(श्रम)2026(Comp no 10169)-राज्यपाल, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संख्या 36 वर्ष 2020) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ-3 में उनके नामों के सामने उल्लिखित क्षेत्रों के भीतर उक्त संहिता (अध्याय 3 एवं 4 को छोड़कर) के प्रयोजनों के लिए "निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुसूची

क्र०स०	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
1	2	3
1.	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त उप/सहायक श्रम आयुक्त	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
2.	उप श्रम आयुक्त, देहरादून	जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी

1	2	3
3.	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार	जनपद हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल
4.	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर	जनपद ऊधमसिंहनगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़
5.	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर
6.	सहायक श्रम आयुक्त, हल्द्वानी	जनपद नैनीताल
7.	सहायक श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर	जनपद ऊधमसिंहनगर
8.	सहायक श्रम आयुक्त, देहरादून	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी
9.	सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार	जनपद हरिद्वार
10.	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर
11.	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत
12.	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश
13.	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं चमोली
14.	जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी	अपने-अपने क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत
15.	जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंहनगर के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी	अपने-अपने क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1058/VIII-1/2026-08(Labour) 2026 (comp no 10169) , dated August 13, 2026 for general information:

NOTIFICATION

August 13, 2026

No. 1058/VIII-1/2026-08(Labour)2026(comp no. 10169)--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Code on Social Security, 2020 (No. 36 of 2020), the Governor is pleased to appoint the Officers mentioned in column-2 of the schedule below as “**Inspector-cum-Facilitator**” for the purposes of said Code (excluding Chapter-III and IV) within the local limits of the areas mentioned against their names in column-3 of the Schedule below:---

Schedule

S.No	Designation of the Officer	Jurisdiction
1	2	3
1.	All Deputy/Assistant Labour Commissioners posted in the office of Labour Commissioner Uttarakhand	Whole state of Uttarakhand
2.	Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi
3.	Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal
4.	Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh
5.	Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital, Almora and Bageshwar
6.	Assistant Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital
7.	Assistant Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar
8.	Assistant Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun and Uttarkashi
9.	Assistant Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar
10.	Assistant Labour Commissioner, Almora	District Almora and Bageshwar
11.	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh	District Pithoragarh and Champawat
12.	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh	District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh
13.	Assistant Labour Commissioner, Kotdwar	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli
14.	Labour enforcement officers posted at departmental offices in district Dehradun, Uttarkashi, Tehri Garhwal, Chamoli, Rudraprayag, Pauri Garhwal and Haridwar.	within their respective jurisdiction.
15.	Labor enforcement officers posted at departmental offices in district Nainital, Pithoragarh, Champawat, Almora, Bageshwar and Udham Singh Nagar	within their respective jurisdiction.

By Order,

Dr. SRIDHAR BABU ADDANKI,

Secretary.

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-02

अधिसूचना

18 अगस्त, 2026 ई०

संख्या I/424146/XXIX-2/2026/E-103758—राज्यपाल, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग एवं ग्राम पंचायतों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तान्तरण हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या—WQ-11031/14/2025-WQ-DDWS, दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 द्वारा निर्धारित “कमीशनिंग और हस्तान्तरण प्रोटोकॉल” को उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत कर लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

रणवीर सिंह चौहान,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of “the Constitution of India”, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. I/424146/XXIX-2/2026/E-103754, dated August 18, 2026 for general information.

NOTIFICATION

August 18, 2026

No. I/424146/XXIX-2/2026/E-103758--The Governor hereby approves the adoption and implementation in the State of Uttarakhand of the “Commissioning and Handing Over Protocol” prescribed vide letter no. WQ-11031/14/2025-WQ-DDWS, dated 27 October, 2025, by the National Jal Jeevan Mission, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Government of India, for the commissioning and handing over of rural drinking water schemes constructed in the State under the Jal Jeevan Mission program to the Gram Panchayats/Village Water and Sanitation Committees.

By Order,

RANVIR SINGH CHAUHAN,

Secretary.

समाज कल्याण अनुभाग-03

अधिसूचना

19 अगस्त, 2026 ई०

संख्या 682/XVII-A-3/2026-19 (02)/2005(104568)—राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके “दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंहनगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष नियमावली, 2006” में संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंहनगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम 1 इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंह नगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष (संशोधन) नियमावली, 2026 हैं।

नियम 3 2 दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंहनगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष नियमावली, 2006 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

संचालन समिति

- अध्यक्ष — जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
 उपाध्यक्ष — उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत बंगाली समुदाय, जो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित हों, से उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित व्यक्ति।
 सदस्य — अध्यक्ष, जिला पंचायत, ऊधमसिंहनगर द्वारा नामित व्यक्ति।
 सदस्य — उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत बंगाली समुदाय, जो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित हों, से उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित 02 व्यक्ति।
 सदस्य — कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर (कोषाधिकारी)
 सदस्य — मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर (पदेन)
 सदस्य — मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल (पदेन)
 सदस्य — जिला समाज कल्याण अधिकारी,
 सचिव ऊधमसिंहनगर (पदेन)

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor, is pleased to order the publication of the translation of Notification No. 682/XVII-A-3/2026-19 (02)2005(10468), dated August 19, 2026 for general information.

NOTIFICATION

August 19, 2026

No. 682/XVII-A-3/2026-19 (02)2005(10468)--In exercise of the powers conferred by section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in the state of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow to amend the Relief Fund for Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineshpur area and Shakti Farm, District Udham Singh Nagar Rules, 2026 :--

The Relief Fund for Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineshpur area and Shakti Farm of District Udham Singh Nagar (Amendment) Rules 2026

Short Titles	1.	These rules may be called Relief Fund for the Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineshpur area and Shakti Farm of District Udham Singh Nagar (Amendment) Rules, 2026.
Amendment of Rule -3	2.	Rule 3 of the Relief Fund for Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineshpur area and Shakti farm District Udham Singh Nagar, Rules 2006 shall be substituted as follows namely
		Steering Committee: -
	Chairman	- District Magistrate, Udham Singh Nagar
	Vice chairman	- A person Nominated by the Uttarakhand Government, from the Bengali community residing in the State of Uttarakhand, which is notified in the list of Scheduled castes in West Bengal
	Member	- A Person Nominated by the Chairperson, District Panchayat, Udham Singh Nagar.
	Member	- Two person nominated by the Uttarakhand Government from the Bengali community residing in the State of Uttarakhand, which is notified as in the list of Scheduled Castes in West Bengal.
	Member	- Treasury Officer, Udham Singh Nagar (Treasurer)
	Member	- Chief Development Officer, Udham Singh Nagar (Ex-officio)
	Member	- Chief Development Officer, Naintal (Ex-officio)
	Member Secretary	- District Social Welfare Officer Udham Singh (Ex-officio)

By Order,

Dr. SRIDHAR BABU ADDANKI,

Secretary.

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2**कार्यालय ज्ञाप/पदोन्नति आदेश**

31 जुलाई, 2026 ई०

संख्या 418676/XXIV-2/2026/29(12)2011(103196)—विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान—रु० 67700—208700 वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की चयन वर्ष 2025-26 में उप शिक्षा निदेशक/समक्ष के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री हवलदार प्रसाद, खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर, नैनीताल को उप शिक्षा निदेशक/समक्ष पद (वेतनमान—रु० 78800—209200 वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12) पर पदोन्नत किए जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

02— श्री हवलदार प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान तैनाती स्थल के जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक मुख्य शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
शिवस्वरूप त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 31, 2026

No. 302/UHC/Admin.A/2026--Shri Laxman Singh Rawat, Deputy Registrar of the Court is hereby promoted to the post of Joint Registrar in pay matrix of ₹ 1,31,100-2,16,600 (Level-13A) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of his taking over charge.

“वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।”

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General.

NOTIFICATION

July 31, 2026

No. 303/XIV/a-35/Admin.A/2018--Ms. Karishma Dangwal, Judicial Magistrate, Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 24 days w.e.f. 01.06.2026 to 24.06.2026 with permission to prefix 31.05.2026 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

July 31, 2026

No. 304/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms. Kalpana, Judicial Magistrate, Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 20 days w.e.f. 07.05.2026 to 26.05.2026.

NOTIFICATION

July 31, 2026

No. 305/XIV-94/Admin.A/2003--Ms. Archana Sagar, Additional Principal Judge-II, Family Court, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 27.04.2026 to 16.05.2026 with permission to prefix 26.04.2026 and suffix 17.05.2026 as Sunday holidays.

NOTIFICATION

July 31, 2026

No. 306/XIV-a-42/Admin.A/2020--Shri Chetan Singh Gautam, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District U.S. Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 29.05.2026 to 12.06.2026 with permission to suffix 13.06.2026 & 14.06.2026 as second Saturday and Sunday holidays.

NOTIFICATION

August 10, 2026

No. 307/XIV-a/50/Admin.A/2012--Ms. Neha Kushawaha, the then Civil Judge (Sr. Div.), Uttarkashi, presently posted as Secretary High Court Legal Services Committee, Nainital is hereby sanctioned:--

1.	Maternity leave	For 180 days w.e.f. 01.02.2024 to 29.07.2024
2.	Child care leave	For 45 days w.e.f. 30.07.2024 to 12.09.2024

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादूनआदेश

07 अगस्त, 2026 ई0

पत्र संख्या-एफ0डी0ए0/02/डेयरी एनालॉग/521/2026/10235-

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) सहपठित धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा विभागीय प्रवर्तन अनुभव, प्रयोगशाला विश्लेषण, निष्पक्ष व्यापार व्यवहार, उपभोक्ता हितों, जोखिम मूल्यांकन के समग्र परीक्षण उपरांत एवं डेयरी एनालॉग से संबंधित जोखिमपूर्ण मूल्यांकन-विशेषतया एनालॉग पनीर एवं अन्य गैर-दुग्ध किन्तु दुग्ध उत्पाद-सदृश खाद्य उत्पादों और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसे अमानकीकृत गैर-दुग्ध उत्पादों के उपभोग के विषय में उपभोक्ता भ्रम व अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तराखण्ड सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिषेधात्मक आदेश जारी किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा के भीतर, ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध किन्तु दुग्धउत्पाद-सदृश खाद्य, जो विशेषकर पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों को वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराते हों, उनके विनिर्माण, प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाता है।-

यह प्रतिषेध, विशेष रूप से निम्न गैर-मानकीकृत खाद्य उत्पादों (फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज एवं मिक्सड फ़ैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को छोड़कर) पर लागू होगा: -

- उत्पाद, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं।
- उत्पाद, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति बसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया है।
- उत्पाद, जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रदर्शन अथवा विक्रय का तरीका उपभोक्ता को भ्रमित करता है।

यह प्रतिषेध, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा तथा प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा इस विषय में अंतिम नियामकीय मानक/विनियम अधिसूचित किए जाने अथवा खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पूर्व में जारी आदेश निरस्त, संशोधित अथवा प्रतिस्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।

विनय शंकर पाण्डेय,
आयुक्त।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2026 ई0 (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Additional Director

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 979815644075 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम गुडिया (GUDIYA) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम जिया सैनी (JIYA SAINI) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 8202505078140000006 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को जिया सैनी (JIYA SAINI) पुत्री श्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

धर्मेन्द्र

निवासी ग्राम ठसका, मंगलौर तोवन,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 325611877973 में त्रुटिवश उसका घरेलु उनके नाम शोर्य (SHORYE SAINI) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सिद्धांत सैनी (SIDDHANT SAINI) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 8202505078140000005 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को सिद्धांत सैनी (SIDDHANT SAINI) पुत्र श्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

धर्मेन्द्र

निवासी ग्राम ठसका, मंगलौर तोवन,
हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

MY name Gaje Singh Gusain, is erroneously recorded in Aadharcard my 201973351019. Whereas my actual name is Gajay Singh. This is also recorded in my Permanent Residence Certificate registration number UK26ES0100083146 Army records. In future, I and in should be known and called Gajay Singh, s/o Late Ganga Singh, R/O village Jhandrichaur, Purvi, Kotdwara, Pauri Garhwal, Uttarakhand. Pin-246149

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Gajay Singh, s/o Late Ganga Singh,
R/O village Jhandrichaur, Purvi, Kotdwara, Pauri
Garhwal, Uttarakhand. Pin-246149

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 614692108504 में त्रुटिवश मेरा नाम राजेश वर प्रसाद (RAJESH WAR PRASAD) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद (RAJESHWAR PRASAD) है। जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र पंजी सं. UK26ES0100215708 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे राजेश्वर प्रसाद (RAJESHWAR PRASAD) पुत्र श्री बाबु राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजेश्वर प्रसाद (RAJESHWAR PRASAD)
पुत्र श्री बाबु राम
निवासी— 65 गांव हज्जरपुर पोस्ट लंदौरा हरिद्वार।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं0 332879909260 में उसका नाम अनाइजा नूर (ANAIZA NOOR) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम अनाइजा नूर (ANAIZA NOOR) से बदलकर फातिमा नूर (FATIMA NOOR) कर लिया है, जोकि पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या B-2020:5-90170-006348 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को फातिमा नूर (FATIMA NOOR) पुत्री शाईस्ता परवीन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शाईस्ता परवीन पत्नी वसीम अख्तर सलमानी
निवासी-46, बडा भारुवाला ग्रांट, क्लेमेंट
टाउन, भारु वाला ग्रांट, देहरादून,
उत्तराखण्ड-248002.

सूचना

मैं मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK S/O FAZAL MOHAMMAD, R/O 826 Street No. 3 Azad nagar, Roorkee Distt Haridwar, Uttarakhand का नाम इलाहाबाद बोर्ड की हाई स्कूल मार्कशीट व इनटरमिडिएट एवं सनद में MOHAMMAD ESSA है, जो कि गलत है। क्योंकि मलिक सर नेम मैंने अभी कुछ समय पहले जोड़ा है। वास्तव मैं अब मेरा सही नाम मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK
S/O FAZAL MOHAMMAD,
R/O 826 Street No. 3 Azad nagar, Roorkee
Distt Haridwar, Uttarakhand

सूचना

मैं सायरा मलिक SAYRA MALIK D/O नूर मोहम्मद NOOR MOHAMMAD W/O मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK R/O 826 Street No. 3 Azad Nagar, Roorkee Distt Haridwar, Uttarakhand का नाम इलाहाबाद बोर्ड की हाई स्कूल व इनटरमिडिएट मार्कशीट एवं सनद मैं सायरा बानो SAYRA BANO लिखा है। बानो के स्थान पर मलिक सर नेम मेने अभी कुछ समय पहले अपने नाम के बाद में जोड़ा है। वास्तव मैं अब मेरा सही नाम सायरा मलिक SAYRA MALIK है। अब मेरा नाम सायरा मलिक SAYRA MALIK है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सायरा मलिक SAYRA MALIK
D/O नूर मोहम्मद NOOR MOHAMMAD
W/O मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK,
R/O 826 Street No. 3 Azad Nagar, Roorkee
Distt Haridwar, Uttarakhand

सूचना

मैं मौहम्मद मूसा खान (MOHAMMAD MUSA KHAN) पुत्र फजल मौहम्मद (FAZAL MOHAMMAD) निवासी शसत्री नगर जी०एम०एस० रोड कावली पो० सीमाद्वार देहरादून उत्तराखण्ड का नाम हाई स्कूल, इन्टरमिडिएट इलाहाबाद बोर्ड, स्नातक एवं उच्चतर स्नातक की मार्कशीट एवं सनद में मौहम्मद मूसा (MOHAMMAD MUSA) लिखा है। अभी कुछ समय पूर्व मुझ शपथकर्ता ने सरनेम खान (KHAN) जोड़ा है। इसलिए अब मेरा नाम मौहम्मद मूसा खान (MOHAMMAD MUSA KHAN) पढ़ा, व समझा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मौहम्मद मूसा खान (MOHAMMAD MUSA KHAN)

पुत्र फजल मौहम्मद (FAZAL MOHAMMAD)

निवासी शसत्री नगर जी०एम०एस० रोड कावली

पो० सीमाद्वार देहरादून उत्तराखण्ड